FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0210 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/07/2026 16:22 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	238
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 20/07/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/07/2026 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/07/2026 16:22:24 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 55 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** POLICE THANA BEAWAR SADAR, JILA BEAWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ANAWAR KHAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** AHAMAD

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1986 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	FATEHGARH SALLA, ब्यावर सदर, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	FATEHGARH SALLA, ब्यावर सदर, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMAKISHAN		पिता:LATE.MANGURAM	1. FARASPURA,NAGAUR,RAJAST
2	KANARAM		पिता:LATE.DESHRAJ	1. RAMPURA MEWATIYAN, ब्यावर,RAJASTHAN,INDIA
3	MANOJ		पिता:HANUMAN RAM	1. KHADKALI POST GUDHA BHAGWANDAS,KHINVSAR,PAN CHAUDI,NAGAUR,RAJASTHAN, INDIA
4	RAHUL		पिता:SUVALAL	1. LASADIYA,ब्यावर सदर,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		8,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 8,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर विषयः- रिश्वत लेते हुये पकडवाने के सम्बन्ध मे। महोदय, यह है कि मेरी बहन बबीना पत्नि श्री मोहन काठात निवासी नीमगढ बाडीया, वाबडी तहसील मसूदा हाल निवासी केवरा बावडी सुवावा पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर की रहने वाली है। मेरी बहिन की भैंस नही मिलने पर भैंस की काफी तलाश की परन्तु भैंस नही मिली बाद में अपने स्तर पर मालूम करने पर भैंस रमेश निवासी गांव देलवाडा के पास होना मालूम चला। रमेश ने भैंस देने से मना किया तो दिनांक 02.07.2026 को पुलिस थाना ब्यावर सदर में मेरी बहिन ने रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट की जांच थाने के हैड कानिस्टेबल रामाकिशन द्वारा की जा रही थी। हमारी भैंस गावं देलवाडा के रहने वाले रमेश के घर पर थी, यह बात हमने हमारी रिपोर्ट में लिख दी थी। दिनांक 17.07.2026 को हमारी भैंस हमे दे दी , रमेश तथा हमारे बीच में राजीनामा हो गया था। थाने पर जो राजीनामा हुआ उसमे उल्टा पुलिस थाना ब्यावर सदर के हैड कानिस्टेबल रामाकिशन एंव सिपाही मनोज द्वारा 9000 रूपये भैंस के चारे आदी का खर्चा रमेश को देने के लिये कहा जबकि मेरी बहिन की भैंस को रमेश अपने साथ अपने घर पर ले गया उसके बाद भी पुलिस वालो ने 9000 रूपये रमेश को देने का दबाव बनाया। साथ ही 10000 रूपये दोनो पुलिस कर्मियो ने स्वंय के लिये मांगें। रामाकिशन ने 10000 रूपये मनोज सिपाही को देने थे, उस समय रामाकिशन एंव मनोज सिपाही साथ ही मौजुद थे। लिखापढी की कार्यवाही रामाकिशन हैड साहब द्वारा की गयी थी। उसमे 9000 रूपये रमेश को देने का अंकन नही था। हम पुलिस के कर्मचारी रामाकिशन एंव मनोज को रिश्वत के 10000 रूपये रिश्वत के नही देना चाहते हैं एंव रमेश को 9000 रूपये भी देना नही चाहते हैं। हमने रूपये देने की हां भर ली थी फिर बाद में मेरी बहिन व हमने रूपये नही देकर एसीबी से कार्यवाही करने का निर्णय लिया। मेरी बहिन की तरफ से एसीबी मे समस्त कार्यवाही मे ही करूंगा। मेरी बहिन की इस कार्यवाही में सहमति है। हम रामाकिशन एवं मनोज को रिश्वत नही देना चाहते है हम उन्हे रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहते है। कृपया कार्यवाही करे। मेरा मित्र ताहीर भी कार्यवाही मे साथ ही रहेगा, थाने पर यह साथ ही गया था। दिनांक 18.07.2026 धन्यवाद प्रार्थी -एसडी- अनवर पुत्र अहमद जी निवासी फतेगढ सल्ला पुलिस थाना ब्यावर सदर मोबाईल नम्बर उपरोक्त तहरीर रिपोर्ट श्री अनवर पुत्र श्री अहमद जाति मेहरात मुसलमान उम्र 40 साल निवासी फतेहगढ सल्ला पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर ने अपने मित्र श्री ताहिर पुत्र श्री अशरफ जाति पठान मुसलमान उम्र 37 साल निवासी फतेहगढ सल्ता पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर सहित उपस्थित चोकी हाजा होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजवीर सिंह को प्रस्तुत की । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपरोक्त तहरीर रिपोर्ट अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु मन् कुशाल राम पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष मे बुलाकर सुपुर्द की । उपरोक्तगणो व प्रार्थना पत्र को लेकर मन् निरीक्षक पुलिस अपने कार्यालय कक्ष मे उपस्थित आया, प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, पूछने पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य सही होना स्वीकार कर प्रार्थना पत्र पर अपने एवं ताहिर के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने बताया की मेरी रिश्तेदारी में बहिन बबीना पत्नि श्री मोहन काठात निवासी नीमगढ बाडीया, वाबडी तहसील मसूदा हाल निवासी केवरा बावडी सुवावा पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर की भैंस के गुमने पर अपने स्तर पर मालुम किया तो भैंस देलवाडा निवासी रमेश के घर पर होना जानकारी में आया, रमेश ने भैंस नही लौटाई तो मेरी बहिन की तरफ से थाने पर दिनांक 02.07.2026 को श्री रामाकिशन हैड कानिस्टेबल को रिपोर्ट दी थी। दिनांक 17.07.2026 को मेरी बहिन की भैंस वापस हमे दे दी थी तथा रमेश व हमारे बीच में राजीनामा हो गया था जो राजीनामा थाने में बैठकर ही तैयार किया था। राजीनामा रामाकिशन हैड कानिस्टेबल व मनोज कानिस्टेबल के सामने ही लिखा गया था। हमारे बीच हुये राजीनामा में 9000 रूपये रमेश को भैंस के चारा आदी के बदले देने के लिये कहा तथा 10000 रूपये हैड कानिस्टेबल रामाकिशन एंव मनोज सिपाही ने रिश्वत के रूप में मांगे। हमारी

भैंस गुम हुई एंव उल्टा पुलिस वाले रमेश को 9000 रूपयें एंव स्वंय के लिये 10000 रूपये मांग कर हमें परेशान कर रहे है। उस समय हमने रूपये देने की हां भर दी थी, बाद मे हमने तय किया कि हम रामाकिशन एंव मनोज को रिश्वत के 10000 रूपये नही देगें तथा रमेश के लिये भी पुलिस वालो को रूपये नही देंगें मेरी बहिन ने पुलिस थाने के कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये मुझे कहा, मेरा मित्र ताहिर भी इस पुरे घटनाक्रम में मेरे साथ ही रहा। पुछने पर श्री ताहिर ने उपरोक्त तथ्यो की ताईद की। श्री अनवर ने उपरोक्त रिपोर्ट अपने परिचित कम्प्युटर की दुकान से टाईप करवाना बताया, पूछने पर दोनो ने श्री रामाकिशन हैड कानिस्टेबल एवं श्री मनोज सिपाही से किसी प्रकार की रंजिश नही होना बताया एवं किसी प्रकार के रूपयो के लेनदेन नही होना बताया। प्रस्तुत शुदा प्रार्थना पत्र एंव पूछताछ से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत की मांग का पाया जाने से रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी एंव सहपरिवादी को रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाये जाने के तथ्यो से अवगत करवाया गया। दोनो ने बताया की रामाकिशन एंव मनोज हमे मोबाईल फोन पर काल कर बुला रहे है। आज ही उनसे रिश्वत के सम्बन्ध में बातचीत हो सकती है, जिस पर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 308 को कार्यालय कक्ष में बुलाया जाकर परिवादी अनवर एंव सह परिवादी ताहिर से आपस में परिचय करा मोबाईल नम्बरो का आदान- प्रदान करवाया गया। कार्यालय अलमारी से डिजीटल वायस रिकार्डर निकाल कर परिवादी श्री अनवर एंव ताहिर को वायॅस रिकार्डर आपरेट करने की समझाईश की गयी। कार्यालय अलमारी मे से नया/खाली मैमोरी कार्ड मंगवाया जाकर वायस रिकाडर मे डालकर वाईस रिकार्डर श्री रविन्द्र सिंह कानि 308 को सुपुर्द किया गया। दिनांक 18.07.2026 समय 6.45 पीएम पर श्री रविन्द्र सिंह कानि 308 मय वायस रिकार्डर एंव परिवादी श्री अनवर एंव ताहिर को आवश्यक हिदायत दी जाकर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाये जाने हेतु पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर के लिये रवाना किया गया। समय 10.55 पीएम पर श्री रविन्द्र सिंह कानि 308 मय वाईस रिकार्डर के उपस्थित और बताया कि कार्यालय से रवाना होकर मै जरिये बस एंव परिवादीगण जरिये स्वंय की मोटरसाईकिल के पुलिस थाना ब्यावर सदर के समीप पहुचे, आरोपीगणो के बारे मे जानकारी हेतु परिवादी पुलिस थाना ब्यावर सदर के अन्दर गया और थोडी देर बाद वापस आकर मुझे बताया कि मनोज तो डयुटी से बाहर गया हुआ है। रामाकिशन से मोबाईल पर बात की तो स्वमं का क्वार्टर पर बताते हुये कल 11 बजे थाने पर मिलने हेतु कहा, थाने से रवाना होकर आपके पास आये जिस पर परिवादी को कल दिनांक 19.07.2026 को पुलिस थाना ब्यावर सदर के पास मिलने की हिदायत देकर उपस्थित आया। वाईस रिकार्डर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 से प्राप्त कर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 19.07.2026 समय 10.05 पीएम पर श्री रविन्द्र सिंह कानि 308 मय वाईस रिकार्डर के रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाने हेतु पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर के लिये रवाना किया गया। दिनांक 19.07.2026 समय 02.30 पीएम पर श्री रविन्द्र सिंह कानि 308 उपस्थित कार्यालय आया, वाईस रिकार्डर बन्द अवस्था में सुपुर्द कर बताया कि चैकी से रवाना होकर समय करीब 11.30 पीएम पर पुलिस थाना ब्यावर सदर के पास पहुंचा जहां थोडी देर बाद परिवादी श्री अनवर एंव ताहिर भी आ गये, समय करीब 12 बजे वाईस रिकार्डर को चालू कर ताहिर की जेब में रखा जाकर परिवादी अनवर एंव सह परिवादी ताहिर को पुलिस थाना ब्यावर सदर के लिये रवाना किया मै अपनी उपस्थिति छुपाते हुये पुलिस थाना ब्यावर सदर के आस-पास ही मौजूद रहा, करीब 8-10 मिनट बाद अनवर एंव ताहिर मेरे पास आये मैने वाईस रिकार्डर बन्द किया, ताहिर ने बताया कि आपके पास से हम थाने अन्दर गये, जहां पर मनोज कानिस्टेबल मिला जिससे रमेश को दी जाने वाले रूपये एंव रामाकिशन तथा मनोज को दी जाने वाली रिश्वत राशि के सम्बन्ध में बात हुई। बातचीत मे मनोज ने कहा कि रामाकिशन को ऐसा लगता है कि मैने पैसे ले लिये। हमारी बातचीत में 9000 रूपये रमेश को एंव 8000 रूपये रिश्वत के देना तय हुआ है। मनोज ने कल 12-1 बजे के बीच बुलाया है। रामाकिशन थाने से बाहर थे मनोज ने बताया कि रामाकिशन जी टोल नाके की तरफ गये हुये है। मैनें वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो रिश्वत सम्बन्धित वार्तालाप रिकार्ड था। परिवादीगण ने बताया कि हम रूपयो की व्यवस्था कर कल सुबह आपके ऑफिस आ जायेगे। परिवादीगणो को वही पर छोड बस के द्वारा कार्यालय में आया हू। श्री रविन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत शुदा वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो श्री रविन्द्र सिंह द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद हुई एंव रिश्वत सम्बन्धित वार्तालाप दर्ज होना पाया गया। वाईस रिकार्डर को मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 19.07.2026 समय 03.45 पीएम पर आगामी कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहो की आवश्यकता होने से उप वन सरंक्षक अजमेर से जरिये मोबाईल फोन दो कर्मचारियो को कल सुबह 9 बजे एसीबी कार्यालय में भिजवाये जाने हेतु निवेदन किया गया। कार्यालय स्टाफ को भी सुबह 9 बजे उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 20.07.2026 समय 08.50 एएम पर परिवादी श्री अनवर एंव सहपरिवादी ताहिर कार्यालय मे उपस्थित आये। परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 19.07.2026 को करीब दोपहर के 12 बजे मै एंव ताहिर रविन्द्र जी से पुलिस थाना ब्यावर सदर के पास मिले, रविन्द्र जी वाईस रिकार्डर चालू कर हमको दिया था। इसके बाद हम दोनो पुलिस थाना ब्यावर सदर मे जाकर मनोज कानिस्टेबल से मिले तो उन्होने बातचीत के दौरान रमेश को 9000 रूपये देने और रामाकिशन जी हैड साहब एंव स्वंय के लिये 8000 कुल 17000 रूपये देन की बात कही। बातचीत मे मनोज ने कहा कि रामाकिशन को ऐसा लगता है कि मैने पैसे ले लिये। पैसो की बात करके बाद हम पुलिस थाना से बाहर आकर रविन्द्र सिंह जी के पास गये थे उन्होने हमारे से वाईस रिकार्डर लेकर बन्द किया। हमने उन्हे पूरा घटनाक्रम बताया। फिर रविन्द्र जी ने टेप रिकार्डर को

चालू करके सुना। इसके बाद रूपयो की व्यवस्था कर एसीबी कार्यालय में आने के लिये रविन्द्र जी द्वारा हमें कहा गया। फिर रविन्द्र जी वंहा से रवाना हो गये तथा हम भी वंहा से चले गये। परिवादी श्री अनवर व सहपरिवादी श्री ताहिर को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। दिनांक 20.07.2026 समय 9.00 एएम पर कार्यालय उपवन सरंक्षक अजमेर से श्री युवराज सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह जाति राजपूत उम्र 38 साल निवासी 336 हरिभाउ उपाध्याय नगर विस्तार, पुष्कर रोड अजमेर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन सरंक्षक अजमेर व श्री प्रवीण शर्मा पुत्र श्री सुखदेव शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 24 साल निवासी लाम्बा जाटान, मेडता सिटी, पुलिस थाना गोठन जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन सरंक्षक जिला अजमेर उपस्थित आये जिनका परिवादीगण का आपस मे परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2026 पढकर गवाहो को सुनाया व दिखाया गया। ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाहे जाने पर दोनो गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। गवाहान द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत शुदा प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा मन् निरीक्षक पुलिस के पास कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखे हुवे वार्यस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को निकालकर वार्यस रिकार्डर को चालू करके वार्तालाप गवाहान को सुनाया गया। दिनांक 20.07.2026 समय 9.32 एएम पर पर परिवादी श्री अनवर ने बताया कि अभी-अभी समय 9.25 , 9.26 ए.एम. पर रामाकिशन के मेरे मोबाईल पर दो मिस काल आये, परन्तु मेरा मोबाईल साईलेन्ट होने से पता नही चल चका अभी मेरे जीजाजी मोहन जी को काल करने के लिये जेब से फोन निकाला तब पता चला। जिस पर समय 09.38 ए.एम. पर परिवादी के मोबाईल फोन नम्बर से पर वार्ता करवाकर मोबाईल का स्पीकर आन करवाया जाकर वार्ता को वार्यस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। वार्ता में श्री रामाकिशन हैड कानिस्टेबल द्वारा मनोज का छुट्टी पर होना बताया एवं परिवादी द्वारा थाने पर आना बताया गया। श्री मनोज का अवकाश पर होना श्री रामाकिशन द्वारा बताया गया है एंव परिवादी को थाने पर श्री रामाकिशन हैड कानिस्टेबल द्वारा बुलाया गया है। अतः श्री रामाकिशन हैड कानिस्टेबल से रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाई जानी है। परिवादी को इस सम्बन्ध में अवगत करवाया गया। परिवादी गण ने बताया कि रामाकिशन जी अभी बुला रहे है इसलिये थाने में जाकर रिश्वत के सम्बन्ध मे उनसे बातचीत की जा सकती है व बातचीत के बाद में आज ही रूपये देने पडेंगें। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का वार्यस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय अलमारी मे सुरक्षित रखा गया। दिनांक 20.07.2026 समय 11.50 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय वार्यस रिकार्डर मय नया/खाली मैमोरी कार्ड, मोबाईल फोन मय मैमोरी कार्ड, स्वतन्त्र गवाह श्री प्रवीणशर्मा, श्री युवराज सिंह , एसीबी स्टाफ श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308, श्री राजूराम कानि नम्बर 04, श्री महिपाल कानि नम्बर 412, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि नम्बर 20, श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि नम्बर 321 मय फिनोफ्थलीन पाउडर के मय लैपटाप/प्रिन्टर ट्रेप बाक्स आदि के दो प्राईवेट वाहनो से वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर की तरफ रवाना हुये। तथा परिवादी श्री अनवर, सह परिवादी श्री ताहिर स्वंय की मोटर साईकिल से रवाना हुये। दिनांक 20.07.2026 समय 12.50 पी.एम पर उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान ब्यावर टोल टैक्स से थोडा पहले गोपनीय स्थान पर पहुंचा। गोपनीयता बरतते हुये वाहनो को साईड में खडा करवाया गया। दिनांक 20.07.2026 समय 01.30 पीएम पर परिवादी अनवर खां एंव सह परिवादी श्री ताहिर खां गोपनीय स्थान पर उपस्थित आये। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के गोपनीय स्थान पर मुकीम रहा। दिनांक 20.07.2026 समय 02.15 पर वार्यस रिकार्डर में नया व खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी अनवर खांन, सह परिवादी श्री ताहिर व श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को परिवादी की मोटर साईकिल से श्री रामाकिशन हैड कानिस्टेबल से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित करवाये जाने हेतु पुलिस थाना ब्यावर सदर के लिये रवाना किया गया। दिनांक 20.07.2026 समय 02.55 पीएम पर श्री रविन्द्र सिंह कानि, परिवादी श्री अनवर खां एव सह परिवादी श्री ताहिर खां गोपनीय स्थान पर उपस्थित आये। श्री रविन्द्र सिंह कानि0 ने वायस रिकार्डर बन्द अवस्था में प्रस्तुत किया। सह परिवादी ताहिर ने बताया कि आपके पास रवाना होकर हम थाने पर जा रहे थे इसी दौरान मनोज कानिस्टेबल का उसके मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल फोन नम्बर पर समय 02.19 पीएम वाट्सएप काल आया। मोटर साईकिल साईड मे रोक कर मनोज के मोबाईल फोन पर समय 02.21 पीएम पर वाट्सएप काल कर मोबाईल का स्पीकर आन लाईन कर बातचीत की गई। रविन्द्र जी द्वारा टेप रिकार्डर को चालू कर बातचीत को रिकाॅर्ड किया था। बातचीत मे मनोज मुझे थाने पर जाने के लिये कह रहा था। फिर वंहा से रवाना होकर हम पुलिस थाना ब्यावर सदर से थोड पहले पहुंचें। रविन्द्र जी ने टेप रिकार्डर चालू करके ताहिर के पास रखवा दिया। फिर हम दोनो पुलिस थाना ब्यावर सदर के अन्दर गये जंहा पर रामाकिशन हैड कानिस्टेबल वर्दी के अन्दर उपस्थित मिले। हमारे बीच हुई बात में वे हमसे नाराज हुये तथा गाली भी बोली तथा उन्हे आज ही रूपये देने है। वंहा से रवाना होकर हम रविन्द्र जी के पास आ गये। जिन्होने रिकार्डर लेकर बन्द कर अपने पास में रख लिया। रविन्द्र सिंह व ताहिर ने परिवादी द्वारा बताये तथ्यो की ताईद की । वार्यस रिकार्डर को चालू करके सुना गया तो रिश्वत सम्बन्धित वार्तालाप दर्ज होना पाया गया। दिनांक 20.07.2026 समय 03.45 पीएम पर परिवादी श्री अनवर ने अपने पास से 500-500 के 34 नोट कुल 17000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये, जिन पर श्रीमती रूचि महिला कानि नम्बर 321 से साथ लाये फिनोफथलीन को उपरोक्त नोटो पर श्रीमती

रूचि उपाध्याय से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटो को श्रीमती रूचि उपाध्याय से परिवादी अनवर की पहनी हुई जिन्स पेन्ट की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुये रखवाया गया। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। श्रीमती रूचि उपाध्याय महिला कानि0 नम्बर 321 को फिनोफ्थलीन पाउडर सहित एसीबी चैकी अजमेर पर जाने की हिदायत जाकर गोपनीय स्थान से रूख्सत किया गया। दिनांक 20.07.2026 समय 04.45 पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा वायॅस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के श्री रविन्द्र सिंह कानिस्टेबल को सुपुर्द कर परिवादी श्री अनवर खां, सह परिवादी श्री ताहिर एंव श्री रविन्द्र सिंह कानिस्टेबल को परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय शेष हमराहीयान के पुलिस थाना ब्यावर सदर के लिये प्राईवेट वाहन से रवाना हुआ। दिनांक 20.07.2026 समय 04.50 पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पुलिस थाना ब्यावर सदर के समीप पहुंचा जंहा पर श्री रविन्द्र सिंह व परिवादीगण मिले। श्री महिपाल कानिस्टेबल को पुलिस थाना ब्यावर सदर के समीप ही प्राईवेट वाहन में उतारा जाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय शेष हमराहीयान के प्राईवेट वाहनो से पुलिस थाना ब्यावर सदर के आसपास मुकीम होने हेतु रवाना हुये। 20.07.2026 समय 05.00 पीएम मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पुलिस थाना ब्यावर सदर के आसपास ही प्राईवेट वाहन में मुकीम रहे। समय 05.20 समय पीएम पर प्राईवेट वाहन में मय हमराहीयान के मुकीम शुदा मन् निरीक्षक पुलिस को श्री रविन्द्र सिंह कानिस्टेबल नम्बर 308 द्वारा जरिये वाट्सएप रिश्वत राशि आदान प्रदान की जानकारी दी जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो उपरोक्त गवाहान मय हमराहीयान श्री कैलाश चारण हैड कानि नम्बर 62, श्री राजूराम कानि नम्बर 04, श्री मनोज कुमार कानि नम्बर 01, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि नम्बर 20 के पुलिस थाना ब्यावर सदर पहुंचा जंहा पर श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308, श्री महिपाल कानि नम्बर 412 भी उपस्थित मिले थाने के बाहर की तरफ परिवादी श्री अनवर व सह परिवादी श्री ताहिर भी उपस्थित मिले। वायॅस रिकार्डर श्री रविन्द्र सिंह ने सह परिवादी श्री ताहिर से प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने बताया कि रामाकिशन हैड कानि ने थाने के स्वागत कक्ष में 9000 रूपये रमेश को एंव 8000 रूपये डेयरी वाले को दिलवाये है तथा स्वागत कक्ष के बाहर की तरफ कुछ लोग भी खडे हुये है जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के पुलिस थाना ब्यावर सदर के अन्दर प्रवेश कर मैन गेट के पास ही बने स्वागत कक्ष की तरफ गये जंहा पर पुलिस वर्दी पहने व्यक्ति की तरफ ईशारा कर परिवादी ने रामाकिशन हैड कानिस्टेबल होना बताया। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के वर्दी पहने व्यक्ति के पास पहुंचें इसी दौरान थोडा दूरी पर एक व्यक्ति भागता हुआ स्वागत कक्ष के पीछे की तरफ भागता हुआ नजर आया जिसको कानिस्टेबल श्री महिपाल ने पीछा करके पकडा। मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा भागने का कारण पूछा तो उस शख्स ने बताया कि मै तो ऐसे ही डर के कारण भाग गया था। परिवादी ने बताया कि इसी व्यक्ति को रामाकिशन जी ने 8000 रूपये दिलवाये है। इसी दौरान वह व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरा कोई लेना-देना नही है जिसको शान्त किया गया। श्री रामाकिशन हैड कानि व उक्त शख्स को लेकर स्वागत कक्ष में प्रवेश किया । मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री रामाकिशन हैड कानि को अपना व हमराहीयान का परिचय दिया जाकर आने के प्रयोजन से अवगत करवाया। भागने वाले शख्स से नाम पता पूछा तो अपना नाम कानाराम होना बताते हुये थाने के बाहर स्वागत कक्ष के पास में बनी हुई डेयरी स्वंय की माताजी के नाम की होना बताया तथा डेयरी पर छोट भाई का बैठना एंव स्वंय का कभी कभी आना बताया। भागने के प्रयोजन के बारे मे पूछा तो बताया कि रामाकिशन जी ने अभी मुझे 8000 रूपये दिलवाये जो लेकर मै दिवार कूद कर डेयरी की तरफ जा रहा था इसी दौरान आपकी गाडिया देखकर रूपये मैने दिवार के पास ही खडे राहुल काठात को दे दिये जो रूपये लेकर वह उसी समय चला गया। मै वापस आगे की तरफ आया तभी आपकी टीम रामाकिशन जी के पास आ गई मै आप लोगो को देखकर डर गया इसलिये वापस भाग रहा था। राहुल काठात के बारे मे पूछने पर रामाकिशन जी का भी मिलने वाला होना बताया। मौके पर मौजूद ताहिर ने बताया कि आज जब हम थाने से रामाकिशन से बात कर वापस आये थे उस समय राहुल का मेरे मोबाईल पर फोन आया था तथा उसने कहा कि तू रामाकिशन जी को रूपये नही दिये वो नाराज हो रहा थे तब मैने कहा था कि रूपये अभी थोडी देर मे दे दूंगा। ताहिर ने बताया कि राहुल मुझे थाने के पास ही मिलता रहता है। रिश्वत राशि देने के बाद मै जब स्वागत कक्ष से निकल रहा था तब राहुल भी मुझे दिखा था। रामाकिशन ने पूछने पर बताया कि यह बात सही है कि इनके आज थाने पर जाने के बाद में मैने राहुल को फोन किया था राहुल एक दो बार इनकी सिफारिश के लिये आया था इसलिये मैने उसको फोन किया था। इसी दौरान कानाराम को हमराह लेकर राहुल व रूपये ढूढंने का काफी प्रयास किया गया परन्तु राहुल और रूपये नही मिले। कानाराम को ही साथ लेकर उसके डेयरी बूथ को चैक किया तो रिश्वत राशि 8000 रूपये नही मिले। उपरोक्तगणो से पूरा नाम पता पूछा तो अपना नाम रामाकिशन पुत्र स्व0 श्री मागुंराम जाति जाट उम्र 52 साल निवासी फरासपुरा पुलिस थाना मेडता सिटी जिला नागौर हाल हैड कानि नम्बर 116 पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर व श्री कानाराम पुत्र श्री देशराज जाति जाट उम्र 44 साल निवासी रामपुरा मेवातिया, पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर होना बताया। आरोपी रामाकिशन हैड कानिस्टेबल के कहे अनुसार आरोपी श्री कानाराम द्वारा रिश्वत राशि 8000 रूपये लिये गये है जिसकी ताईद श्री कानाराम स्वंय द्वारा की गई है एंव परिवादी एंव सह परिवादी द्वारा भी रामाकिशन हैड कानि0 ने रिश्वत राशि 8000 रूपये कानाराम को दिलवाये

जाने के तथ्य बताये, जिस पर श्री कानाराम के हाथ धोवण की कार्यवाही करवाई जानी है। अतः थाना परिसर में से ही पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स में से दो पारदर्शी प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त घोल में श्री कानाराम के दोनो हाथो अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी व बाये हाथ के धोवण का हल्का गुलाबी रहा , जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर हल्का गुलाबी व अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा-आधा भरकर दाहिने हाथ के धोवण की शिंशियों पर मार्क क्रमशः आर.एच.-1 , आर.एच.-2, अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। इसी प्रकार बायें हाथ के धोवण की शीशीयो पर मार्क क्रमशः एल.एच.-1 , एल.एच.- 2, अंकित कर सील्ड चिट किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। इसी दौरान रमेश के बारे में रामाकिशन हैड कानि व परिवादीगण से पूछा तो बताया कि वह तो रूपये लेते ही वह यंहा से रवाना हो गया था। जिस पर रमेश के बारे में जानकारी प्राप्त की जाकर एसीबी टीम श्री रमेश को पुलिस थाना ब्यावर सदर पर लेकर आये जिसे मन निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर आने के प्रयोजन से बताया जाकर नाम पता पूछा तो रमेश पुत्र श्री प्रभु जाट निवासी देलवाडा पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर होना बता। परिवादी श्री अनवर से 9000 रूपये लेने के सम्बन्ध मे पूछने पर पर बताया कि इन्होने मुझे अभी थाने में इसी जगह पर 9000 रूपये दिये जो भैंस के खर्चे का पैसा था यह पैसा लेकर मै थाने से रवाना हो गया। मै घर की तरफ जा रहा था इसी दौरान आपकी टीम मुझे लेकर आ गई। 9000 रूपये के सम्बन्ध मे पूछने पर अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब मे ही होना बताया। जिस पर पर गवाह श्री युवराज सिंह से श्री रमेश की पहनी हुई पेन्ट की जेब से रूपये निकलवाये गये जो 500-500 रूपये के कुल 18 नोट होकर 9000 रूपये होना बताया जिसका मिलान पूर्व की फर्द पेशकशी से किया गया तो फर्द पेशकशी के क्रम संख्या 17 से 34 पर होना दोनो गवाहान द्वारा अवगत करवाया गया। उक्त नोटो को एक पीले कागज के लिफाफे में रखा जाकर सील्ड चिट किया जाकर मार्क एन अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया।तत्पश्चात श्री रामाकिशन से परिवादी श्री अनवर से सम्बन्धित रिपोर्ट के सम्बन्ध में बताया कि दिनांक 02.07.2026 को बबीना ने अपनी भैंस गुमने की रिपोर्ट दी थी उस दिन मै डीओ ड्यूटी पर था। मनोज कानिस्टेबल की बीट होने से मैने मनोज को मौखिक ही बताया तथा परिवाद मैने अपने पास रख लिया। फिर मैने दोनो पार्टियो को यंही पर बुला लिया था। दोनो पक्षो के बीच में दिनांक 17.07.2026 को राजीनामा हो गया जिस पर रमेश ताहिर खांन, अनवर व बबीना ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये थे। राजीनामा में 9000 रूपये रमेश को दिये जाने का अकंन था। मैने परिवाद अपने पास ही रख लिया। थाने के रिकार्ड में दर्ज नही करवाया था। तत्पश्चात शिकायत के सम्बन्ध मे पूछने पर स्वागत कक्ष मे ही रखी हुई टेबल की दराज में से एक निकालकर कागजात प्रस्तुत किये जिनका अवलोकन किया गया तो दिनांक 02.07.2026 को बबीना पत्नि श्री मोहन काठात द्वारा अपने भैंस चोरी होने की शिकायत थानाधिकारी पुलिस थाना ब्यावर सदर को सम्बोधित की गई है एंव एक राजीनाम जो सफेद कागज पर बबीन पत्नि मोहन काठात एंव रमेश चन्द पुत्र श्री प्रभुलाल जाट निवासी देलवाडा के मध्य होने का अकंन होकर भैंस पेटे खर्चा 9000 रूपये देने का अकंन होकर राजीनामा पर रमेश, ताहिर खां, बबीना, अनवर व लक्ष्मण सिंह के हस्ताक्षर होना पाया गया है। उपरोक्त दोनो को कागजात शिकायत श्रीमती बबीना एंव राजीनामा पर उपस्थित गणो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी दौरान श्री राहुल काठात निवासी लसाडिया पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर मोबाईल नम्बर की तलाश लसाडिया गांव जाकर की गई तो घर पर नही होना पाया गया तथा मोबाईल फोन भी स्वीच आफ होना पाया गया। कार्यवाही के दौरान श्री रामाकिशन को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 20.07.2026 जो वायॅस रिकार्डर में रिकार्ड है को चलाकर सुनाया गया तो उसमें एक आवाज स्वंय की आवाज होने की ताईद की गई। ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री अनवर पुत्र श्री अहमद जाति मेहरात मुसलमान उम्र 40 साल निवासी फतेहगढ सल्ला पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर की बहिन बबीना पत्नि श्री मोहन काठात निवासी नीमगढ बाडीया, वाबडी तहसील मसूदा हाल निवासी केवरा बावडी सुवावा पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर द्वारा पुलिस थाना ब्यावर सदर पर दिनांक 02.07.2026 को भैसं गुमने की रिपोर्ट के सम्बन्ध में हुये राजीनामा की एवज में श्री रामाकिशन पुत्र स्व0 श्री मागुंराम जाति जाट उम्र 52 साल निवासी फरासपुरा पुलिस थाना मेडता सिटी जिला नागौर हाल हैड कानि नम्बर 116 पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर व श्री मनोज कानिस्टेबल नम्बर 1305 पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर ने आपस में मिलीभगत एंव षडयन्त्र करके परिवादी श्री अनवर खां से 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर दिनांक 19.07.2026 को श्री मनोज कानिस्टेबल द्वारा 8000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एंव दिनांक 20.07.2026 को श्री रामाकिशन हैड कानिस्टेबल द्वारा रिश्वत राशि सम्बन्धित वार्तालाप परिवादी एंव सह परिवादी ताहिर से करना। रिश्वत राशि मांग के अनुसरण में दिनांक 20.07.2026 को परिवादी से 9000 रूपये राजीनामा के एवज में परिवादी श्री अनवर खां से सीधे ही श्री रमेश पुत्र श्री प्रभु जाट निवासी तेजा चोक देलवाडा पुलिस थाना ब्यावर सदर जिल ब्यावर को दिलवाये गये एंव रिश्वत राशि 8000 रूपये परिवादी श्री अनवर खां से सीधे ही आरोपी श्री कानाराम पुत्र श्री देशराज जाति जाट उम्र 44 साल निवासी रामपुरा मेवातिया, पुलिस

थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर को दिलवाये गये, जिस रिश्वत राशि की आरोपी श्री कानाराम को चैतन्य जानकारी होने एंव एसीबी टीम को देखकर उक्त रिश्वत राशि राहुल काठात निवासी लसाडिया पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर को देना जो रिश्वत राशि लेकर आरोपी राहुल काठात का मौके से फरार होना पाया गया है। आरोपी कानाराम के दाहिने हाथ एंव बांये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी गुलाबी आना पाया गया है जो आरोपियान का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का कारित करना पाया जाने पर आरोपी श्री रामाकिशन एंव आरोपी श्री कानाराम को जरिये फर्द पृथक-पृथक गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही की विडियो ग्राफी श्री महिपाल कानि नम्बर 412 से साथ लाये मोबाईल फोन जिसमें नया/खाली मैमोरी कार्ड डाला जाकर की गई। समस्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री मनोज कानिस्टेबल पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर निवासी कांस्वा की ढाणी, खाडकली नागौर मोबाईल नम्बर की दस्तयाब हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी नागौर को जरिये मोबाईल फोन निवेदन किया गया। एसीबी स्टाफ नागौर द्वारा आरोपी के निवास स्थान पर जाकर मालूमात की गई तो आरोपी नही मिला एंव मोबाईल फोन भी स्वीच आफ आना पाया गया है। आरोपी श्री मनोज कानिस्टेबल पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर को ट्रेप कार्यवाही की जानकारी होने पर फरार होना पाया गया है। बाद कार्यवाही एसीबी कार्यालय अजमेर पर उपस्थित आये। दिनांक 21.07.2026 को परिवादी श्री अनवर खां, सह परिवादी श्री ताहिर एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे दिनांक 19.07.2026 को परिवादी श्री अनवर खां, सह परिवादी श्री ताहिर एंव आरोपी श्री मनोज कानिस्टेबल पुलिस थाना ब्यावर सदर के मध्य हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एंव दिनांक 20.07.2026 को परिवादी श्री अनवर खां एंव आरोपी श्री रामाकिशन हैड कानिस्टेबल के मध्य मोबाईल फोन पर हुई वार्ता जो डिजीटल वाइस रिकार्डर मे लगे 32 जी.बी. एस.डी. कार्ड मे रिकार्ड है, को शब्द ब शब्द सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री राजूराम कानि नम्बर 04 से टाईप कर तैयार करवाई गई। आवाज की पहचान परिवादी श्री अनवर खां एव सह परिवादी श्री ताहिर द्वारा की गई। मूल मेमोरी कार्ड सहित वायस रिकार्डर को लैपटाप से कनेक्ट कर लैपटाप की सहायता से दो पृथक पृथक पेन ड्राईव सेनडीस्क कम्पनी 32 जीबी मेरे निर्देश में तैयार किये गये। मूल मैमोरी कार्ड एंव पैन ड्राईव की हैश वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट प्राप्त किया गया। वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड 32 जीबी को उसकी पैकिंग मे ही रखा जाकर उसे सफेद कपडे की थैली मे रखकर सीलड चिट किया गया। परिवादी श्री अनवर खां, सह परिवादी श्री ताहिर एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे दिनांक 20.07.2026 को परिवादी श्री अनवर खां, सह परिवादी श्री ताहिर एंव आरोपी श्री मनोज कानिस्टेबल पुलिस थाना ब्यावर सदर के मध्य मोबाईल फोन पर हुई वार्ता, परिवादी श्री अनवर खां, सह परिवादी श्री ताहिर खां एंव आरोपी श्री रामाकिशन के मध्य हुई रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एंव दिनांक 20.07.2026 को रिश्वत राशि लेनदेन के समय हुई वार्ता जो डिजिटल वाइस रिकार्डर मे लगे 32 जी.बी. एस.डी. कार्ड मे रिकार्ड है, को शब्द ब शब्द सुनकर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता श्री राजुराम कानि नम्बर 04 से टाईप कर तैयार करवाई गई। आवाज की पहचान परिवादी श्री अनवर खां एव सह परिवादी श्री ताहिर द्वारा की गई। मूल मेमोरी कार्ड सहित वायस रिकार्डर को लैपटाप से कनेक्ट कर लैपटाप की सहायता से दो पृथक पृथक पेन ड्राईव सेनडीस्क कम्पनी 32 जीबी मेरे निर्देश में तैयार किये गये। मूल मैमोरी कार्ड एंव पैन ड्राईव की हैश वैल्यू निकाली जाकर प्रिन्ट प्राप्त किया गया । वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड 32 जीबी को उसकी पैकिंग मे ही रखा जाकर उसे सफेद कपडे की थैली मे रखकर सीलड चिट किया गया। एक पैन ड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली मे रखकर सीलड चिट किया जाकर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये। अनुसंधान अधिकारी का पैन ड्राईव सुरक्षित कागज के लिफाफे में रखा गया। उपरोक्त कार्यवाही समय 02.00 पीएम तक तक सम्पादित की गई। दिनांक 21.07.2026 समय 02.05 पी.एम. पर समस्त जब्त एंव सीलड शुदा आर्टिकल जो मालखाना में जमा करवाये जाने है, मालखाना में जमा करने हेतु मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किये गये। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री अनवर पुत्र श्री अहमद जाति मेहरात मुसलमान उम्र 40 साल निवासी फतेहगढ सल्ला पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर की बहिन बबीना पत्नि श्री मोहन काठात निवासी नीमगढ बाडीया, वाबडी तहसील मसूदा हाल निवासी केवरा बावडी सुवावा पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर द्वारा पुलिस थाना ब्यावर सदर पर दिनांक 02.07.2026 को भैसं गुमने की रिपोर्ट के सम्बन्ध में हुये राजीनामा की एवज में श्री रामाकिशन पुत्र स्व0 श्री मागुंराम जाति जाट उम्र 52 साल निवासी फरासपुरा पुलिस थाना मेडता सिटी जिला नागौर हाल हैड कानि नम्बर 116 पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर व श्री मनोज कानिस्टेबल नम्बर 1305 पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर ने आपस में मिलीभगत एंव षडयन्त्र करके परिवादी श्री अनवर खां से 10,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की जाकर दिनांक 19.07.2026 को श्री मनोज कानिस्टेबल द्वारा 8000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एंव दिनांक 20.07.2026 को श्री रामाकिशन हैड कानिस्टेबल द्वारा रिश्वत राशि सम्बन्धित वार्तालाप परिवादी एंव सह परिवादी ताहिर से करना। रिश्वत राशि मांग के अनुसरण में दिनांक 20.07.2026 को परिवादी से 9000 रूपये राजीनामा के एवज में परिवादी श्री अनवर खां से सीधे ही श्री रमेश पुत्र श्री प्रभु जाट निवासी तेजा चैक देलवाडा पुलिस थाना ब्यावर सदर जिल ब्यावर को दिलवाये गये एंव रिश्वत राशि 8000 रूपये परिवादी श्री अनवर खां से सीधे ही

आरोपी श्री कानाराम पुत्र श्री देशराज जाति जाट उम्र 44 साल निवासी रामपुरा मेवातिया, पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर को दिलवाये गये, जिस रिश्वत राशि की आरोपी श्री कानाराम को चैतन्य जानकारी होने एंव एसीबी टीम को देखकर उक्त रिश्वत राशि राहुल काठात निवासी लसाडिया पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर को देना जो रिश्वत राशि लेकर आरोपी राहुल काठात का मौके से फरार होना पाया गया है, जो रिश्वत राशि बरामद नही होकर आरोपीण द्वारा रिश्वत राशि को खुद बुर्द करना पाया गया है। आरोपी कानाराम के दाहिने हाथ एंव बांये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी गुलाबी आना पाया गया है । इस प्रकार आरोपीयान 1.श्री रामाकिशन पुत्र स्व0 श्री मागुंराम जाति जाट उम्र 52 साल निवासी फरासपुरा पुलिस थाना मेडता सिटी जिला नागौर हाल हैड कानि नम्बर 116/34 पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर, 2.श्री कानाराम पुत्र स्व0 श्री देशराज जाति जाट उम्र 44 साल निवासी रामपुरा मेवातियान पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर , 3.श्री मनोज पुत्र श्री हनुमान राम उम्र 27 साल निवासी गांव खडकाली पोस्ट गुढा भगवानदास तहसील खीवंसर पुलिस थाना पांचोडी जिला नागौर हाल कानिस्टेबल नम्बर 1305/588 , 4.श्री राहुल पुत्र श्री सुवालाल उम्र 27 निवासी लसाडिया पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) व 238 भारतीय न्याय संहिता एंव सपठित धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का कारित करना पाया जाने पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर को प्रेषित की गई।(कुशाल राम) निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,अजमेर..............कार्यवाही पुलिस..............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कुशाल राम, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) व 238 भारतीय न्याय संहिता एंव सपठित धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में आरोपीगण 1- श्री रामाकिशन पुत्र स्व0 श्री मागुंराम जाति जाट उम्र 52 साल निवासी फरासपुरा पुलिस थाना मेडता सिटी जिला नागौर हाल हैड कानि नम्बर 116/34 पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर 2- श्री कानाराम पुत्र स्व0 श्री देशराज जाति जाट उम्र 44 साल निवासी रामपुरा मेवातियान पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर 3- श्री मनोज पुत्र श्री हनुमान राम उम्र 27 साल निवासी गांव खडकाली पोस्ट गुढा भगवानदास तहसील खीवंसर पुलिस थाना पांचोडी जिला नागौर हाल कानिस्टेबल नम्बर 1305/588 एवं 4- श्री राहुल पुत्र श्री सुवालाल उम्र 27 निवासी लसाडिया पुलिस थाना ब्यावर सदर जिला ब्यावर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कल्पना बंशीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 417 पर अंकित है । (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1238-41 दिनांक 24.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर 2- पुलिस अधीक्षक, जिला ब्यावर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** kalpana bansiwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/07/2026 16:48:56

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1974				
2	Male	1982				
3	Male	1999				
4	Male	1999				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)